न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी – श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 ------------------------------------ 50/2019

प्रविष्टि दिनांक ------------------------------------ 17.06.2019

उनवान

प्रियकां उर्फ दुर्गशनन्दनी पत्नि नवीन चौधरी जाति तैली निवासी महावीर चौक पुरानी टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार जी टोंक (राज0) **अप्रार्थी**

उपस्थित :– श्री बैणीप्रसाद गुर्जर अभिभाषद प्रार्थी

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक 21/8/19

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजी खसरा नं0 2/1 रकबा 17बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अरनियातिवाडी पटवार हल्का अरनिया कैदार तहसील व जिला टोंक राज0 आवेदक की कब्जेकाश्त एंव खातेदारी की भूमि है, जिसका लगान भी राज्य सरकार को आवेदक ही अदा करता है। मौके पर सीमांकन ना होने से अप्रार्थीगण आवेदक के उक्त खातेदारी की भूमि को दबाकर निर्माण करना चाहते है। सीमांकन नहीं होने से नाजायज फायदा उठाना चाहते है। ऐसी स्थिति में आवेदक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त आराजीयात का तहसीलदार टोंक या सक्षम अधिकारी से पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो तथा आवेदक की भूमि सुरक्षित रह सके। आवेदक पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा वहन करने को तैयार है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी पुलिस इमदाद की सहायता से करवायी जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने के उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73,पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का उपस्थित न्यायालय होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना भी प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2/1 रकबा 17बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अरनियातिवाडी पटवार हल्का अरनिया कैदार तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी पुलिस इमदाद में करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21/8/19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner